भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4068
उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति

4068. **श्री छोटेलाल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अनेक प्रतिभाशाली छात्र वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति, ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): सरकार सभी श्रेणियों के छात्रों को उच्चतर शिक्षा में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँ कार्यान्वित कर रही है, जो मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अध्यधीन हैं। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में, एक करोड़ से अधिक छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक और उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त जनजाति (डीएनटी) के छात्रों के लिए लगभग 39.3 लाख छात्रवृत्तियाँ; अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए लगभग 47 लाख छात्रवृत्तियाँ और एसटी छात्रों के लिए लगभग 20.5 लाख छात्रवृत्तियाँ शामिल हैं। छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड सहित इन योजनाओं का विवरण निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:

क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग**	**वेबसाइट लिंक**
1.	**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय**	https://socialjustice.gov.in/scheme-cat
2.	**जनजातीय कार्य मंत्रालय**	https://tribal.nic.in/ScholarshiP.aspx

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	वेबसाइट लिंक
3.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=2&ls_id=661&lid=823
4.	उच्चतर शिक्षा विभाग	https://www.education.gov.in/en/scholarships-education-loan-0
5.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	https://www.ugc.gov.in/Home/student_Corner
6.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	https://www.aicte.gov.in/schemes/students-development-schemes
7.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	https://dst.gov.in/inspire-scheme-innovation-science-pursuit-inspired-research

केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति (सीएसएस) योजनाएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से ऑनलाइन कार्यान्वित की जाती हैं और एनएसपी पर उपलब्ध छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र छात्रों को भुगतान आधार आधारित भुगतान ब्रिज (एबीपीएस) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड में किया जाता है।

उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (पीएम-यूएसपी) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके तीन घटक हैं: कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (सीएसएसएस), जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (जेकेएल के लिए एसएसएस) और केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)। इसके अलावा, 6 नवंबर 2024 को एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इस योजना के तहत, उन सभी छात्रों को बिना किसी जमानत और गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है, जिन्हें शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलता है और जो शिक्षा ऋण लेना चाहते हैं और इसके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सहायता प्रदान करती है। कोई अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज छूट प्राप्त न करने वाले एक लाख तक नए छात्रों को यह ब्याज सहायता मिलेगी। एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://pmvidyalaxmi.co.in विकसित किया गया है, जिस पर छात्र सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

*****